

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**आदेश**

सं०सं०-03/स्था०रा०से०(प्रतिनियुक्ति)-85/2024-.....(3) रा०, पटना-15, दिनांक-.....

अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-952 दिनांक-30.12.2025 के आलोक में श्री राकेश रंजन, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भू-अर्जन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को श्री कुमार शैलेन्द्र, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (सरकारी) के रूप में नियुक्त करने हेतु उनकी सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंपी जाती है।

2. श्री रंजन का संसदीय कार्य विभाग में सौंपी गई सेवा बिल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. माननीय सचेतक के पद त्यागने अथवा आप्त सचिव (सरकारी) के पद से हटाये जाने के पश्चात श्री रंजन तुरंत अपने मूल विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना) में योगदान समर्पित करेंगे।

4. श्री रंजन के विरुद्ध कोई भी आरोप/विभागीय कार्यवाही लंबित/प्रक्रियाधीन नहीं है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा।

ह०/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापंक-03/स्था०रा०से०(प्रतिनियुक्ति)-85/2024-.....(3)/रा०,पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापंक-03/स्था०रा०से०(प्रतिनियुक्ति)-85/2024-.....(3)/रा०,पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-952 दिनांक-30.12.2025 के संदर्भ में श्री रंजन का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापंक-03/स्था०रा०से०(प्रतिनियुक्ति)-85/2024-.....(3)/रा०,पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- समाहर्ता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अकबर अली),

सरकार के अवर सचिव।

